स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

संख्या आरटीआई/9560/2018-पीएमआर दिनांक: 14/9/18

सेवा में,

श्री साहिल शर्मा,

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 03.08.2018 के पत्र (PMOIN/A/2018/90450) का संदर्भ लें, जो ऑनलाईन प्राप्त हुआ और जिसे आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया है।

2. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आपने अपने दिनांक 03.08.2017 (ऑनलाईन प्राप्त) के सूचना का अधिकार आवेदन-पत्र (53592), में कसोल, हिमाचल प्रदेश में भारत के नागरिकों के प्रवेश पर तथाकथित प्रतिबंध के संबंध में सूचना मांगी थी।

3. प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 03.08.2018 के पत्र के माध्यम से बताया था कि मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है।

4. अपील में आपने आपने सूचना दिए जाने के अनुरोध को फिर से तैयार करने के साथ पुनः अनुरोध किया है कि मांगी गई जानकारी आपको प्रदान की जाए।

5. अधोहस्ताक्षरी ने मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया है और यह पाया है प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने लेख किया है कि मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है। अपील में आपने अपने सूचना अनुरोध को फिर से तैयार किया है तथा मांगी गई जानकारी दिए जाने का फिर से अनुरोध किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आपका सूचना अनुरोध राज्य सरकार से संबंधित है और इसलिए आपको परामर्श दिया जाता है कि आप

संख्या आरटीआई/9560/2018-पीएमआर

अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार के संबंधित लोक प्राधिकारी के समक्ष पृथक से आवेदन दायर करें।

6. अतएव, उपर्युक्त कारणों के आधार पर आपकी अपील पर और कोई कार्रवाई की जानी शेष नहीं है और तदनुसार इसका एतदद्वारा निपटान किया जाता है।

7. यदि आप उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र के मिलने के 90 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, तृतीय तल, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

(सैय्यद इकराम रिजवी)
निदेशक एवं अपील प्राधिकारी